न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 77/2017 (उदयपुर डिक्री)

रूपा पिता भेरा जी मीणा, निवासी पडूना, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती वरजू बेवा धुला जी मीणा, निवासी पडूना, फला कोल्यारी, दूसरा पता – परसाद, फला वलीहोड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. शंकर पिता नाना जी मीणा, निवासी पडूना, फला कोल्यारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. गौतम पिता नारा जी मीणा, निवासी पडूना, फला कोल्यारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. सनूड़ा पिता नाना जी मीणा, निवासी पडूना, फला कोल्यारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 23.05.2017 प्र.सं. 8/2011

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक अपीलान्ट

———:::———

निर्णय **दिनांक 09–01–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पडुणा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 6 रकबा 0.2450 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादी के पास सन् 1975 से प्रतिवादी के भाई धूला व माता द्वारा जबानी इकरार 90/–

रूपये पर रहन रखी थी, तब से वादी का कब्जा होकर खेती करता चला आ रहा है। तत्पश्चात् वादी ने वाद वर्णित आराजियात को 4000/– रूपये में क्रय करने का मौखिक इकरार किया, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 16–01–1998 को वादी के पक्ष में निष्पादित कर दिया गया, जिसकी पालना में दिनांक 24–02–2000 को विधिवत विक्रय पत्र निष्पादित कर दिनांक 25–02–2000 को पंजीयन करवा दिया गया। वादी ने उक्त भूमि पर काफी लागत लगाकर मकान बनाया व थूर की बाड़ बनवायी तथा काश्त करता चला आ रहा है। दिनांक 16–08–2010 को प्रतिवादी संख्या 2 से 4 उक्त जमीन पर आये व वादी की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने लगे तथा बेदखल करने की धमकी दी। इस पर वादी ने पटवारी से मिलकर खाते की नकल निकलवायी तो पता चला कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की भूमि अपने खाते करा ली है। अतएवं वादी को उक्त आराजियात का खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा भी दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती वरजू की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमियों पर वादी का कब्जा होकर भूमियां वादी के स्वामित्व एवं कब्जे की हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ने मूलतः सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–06–2013 एवं 22–05–2014 को प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये तथा दिनांक 04–08–2014 को अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार 2 तनकियां कायम की :–

1. आया वादी का वादग्रस्त भूमि पर रहन से सन् 1975 से कब्जा होकर उसके द्वारा दिनांक 25–02–2000 को भूमि क्रय की गयी। अतः वादी वादग्रस्त भूमि अपने नाम खातेदारी अधिकार की घोषणा करा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ? ..... वादी
2. आया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को वादग्रस्त भूमि का कभी भी विक्रय नहीं किया ? ..... प्रतिवादी संख्या 1

प्रकरण वादी की साक्ष्य जिरह में दिनांक 01–01–2015 तक अधिनस्थ न्यायालय में लम्बित था। दिनांक 22–09–2015 को अधिनस्थ न्यायालय

प्रतिवादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने से साक्ष्य वादी की जिरह का अवसर बन्द किया तथा पत्रावली को साक्ष्य प्रतिवादी में तय किया। दिनांक 23–05–2017 प्रकरण लोक अदालत में रखकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की उपस्थिति में वादी का वाद द्वितीय विक्रय पत्र के आधार पर होने से खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08–06–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय एवं विधि के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में राजस्व अभियान में प्रकरण का निस्तारण करने में त्रुटि की है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा न तो कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है न ही जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा न ही अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत शहादत पर किसी प्रकार की जिरह की गयी। इस प्रकार अपीलान्ट की साक्ष्य अखण्डित होते हए भी अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभियान में कोटा पूरा करने के उद्देश्य से कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया अपीलान्ट द्वारा लिये गये विभिन्न उजरात पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में लम्बित थी तथा प्रकरण में तनकियात भी कायत शुदा थी। अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 के द्वारा जो विक्रय पत्र लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया है, वह मात्र फोटो प्रति होकर उसमें किसी प्रकार के आराजी नंबरों का वर्णन नहीं है तथा प्रस्तुत साक्ष्य पर वादी/अपीलान्ट को जिरह करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 का जवाबदावा भी रेकार्ड पर नहीं है। इन परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह लाजमी था कि लोक अदालत में राजीनामा नहीं होने की स्थिति में

प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेकर प्रकरण में आदेश 20 नियम 5 जा.दी. के आज्ञापक प्रावधानों के तहत प्रकरण में तनकीवार निर्णय पारित करते। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होकर अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–05–2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण की साक्ष्य लेकर वादी/अपीलान्ट को उस पर जिरह का अवसर देकर प्रकरण में तनकीवार विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकार अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11–03–2019 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 09–01–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

मूर्ति मंदिर श्री कमलनाथ महादेवजी (तीन देवरी), उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, उदयपुर व अन्य	बनाम	**भारत संघ जरिये श्री महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर व अन्य**

अपील नं.....**73/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**05**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी..**श्री प्रकाश खत्री/उत्तमप्रकाश आमेटा**.मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री अरूण जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**01**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।